



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 1980/भाद्र 31, 1902

No. 291]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 1980/BHADRA 31, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नीवहम और परिवहन मंत्रालय

(परतम पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1980

सां० कां०नि० 543 (अ) .—महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कांडला पत्तन के संबंध में भारत सरकार के नीवहम और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सां०कां०नि० 263(ई), दिनांक 26-3-79 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई मारणी में—

- (क) कालम (1) की प्रविष्टि "क्षेत्र के प्रतिनिधि" और कालम (2) की तदनुसपी प्रविष्टि हटा दी जाए।
- (ग) कालम 2 में शब्द "कुल" के सामने संख्या "10" के स्थान पर संख्या "9" रखी जाए।

[फा० सं० पी०उल्लय/पी०टी०बी-41/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd September, 1980

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the

Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 263(E), dated the 26th March, 1979, relating to the Port of Kandla, namely:—

In the Table below the said notification,—

(a) the entry "People of the area", occurring in column (1) and the corresponding entry occurring in column (2) shall be omitted.

(b) against the word "Total", in column 2, for the figures "10", the figure "9" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-41/78]

सां०कां०नि० 544(अ) .—महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड 'ग' के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के नीवहम और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सां०कां० नि० 264(अ), दिनांक 26 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे मारणी में :

(क) क्रम संख्या 7 और तत्सम्बंधी प्रविष्टि के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाये अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)
8	राजस्थान आणख्य और उद्योग विधेमें		1
	मउम, जयपुर।		

(ख) कालम (4) में कुल शब्द के प्रागे संख्या "7" के स्थान पर संख्या "8" रखी जाये।

[फा० संख्या पी०डब्ल्यू/पी०टी०बी०-41/78]

**G.S.R. 544(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 264(E), dated the 26th March, 1979, namely :—

In the Table below the said notification,—

(a) after Serial Number 7 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur.	Shippers	"1"

(b) against the word "Total", in column (4), for the figure "7", the figure "8" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-41/78]

सा० का०नि० 545 (अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा राजस्थान वाणिज्य और उद्योग मंडल, जयपुर के प्रतिनिधि श्री के० एल० जैन को कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी के रूप में निर्वाचित हुए अधिसूचित करती है और भारत

सरकार के नौबहत और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 300(अ) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन पुनः करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 17 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

"18. श्री के० एल० जैन — राजस्थान वाणिज्य और उद्योग मंडल, जयपुर के प्रतिनिधि।"

[फा० संख्या : पी०डब्ल्यू/पी०टी०बी०-41/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

**G.S.R. 545(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby notifies the name of Shri K. L. Jain, representing the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur, as elected to be Trustee on the Board of Trustees of the Port of Kandla, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 300(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 17 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

"18. Shri K. L. Jain—Representing the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur."

[F. No. PW/PTB-41/78]  
D. K. JAIN, Jr. Secy.